न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर
प्रार्थनापत्र संख्या 80/2024 निर्णय दिनांक 1/5/2024

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 व हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 का व पटवारी हल्का जयपुरा तहसील सांगानेर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण 827 दिनांक 24/9/15 द्वारा विक्रयपत्र द्वारा सम्पूर्ण जोत मे अभिषेक जैन पुत्र नेमीचन्द जैन हिस्सा 3/16 के विक्रय करने पर अंकुश पुनिहानी पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति पंजाबी नि० पंजाबी मौहल्ला बहरोड जिला अलवर हि० 3/16 के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हुआ। इसी प्रकार जबकि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 वाके ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 608 के आराजी ख०न० 2389/1673 रकबा 0.2250 व ख०न० 2393/1674 रकबा 0.0206 है० कुल किता-2 कुल रकबा 0.2456 हैक्टेयर मे अंकुश पुनिहारी पुत्र सुरेन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति जाट पंजाबी मौहल्ला बहरोड, जिला अलवर खातेदार अंकन किया गया है जिसे हम दुरुस्त करते हुए आदेश दिये जाते है कि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या नया 608 वाके ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के आराजी ख०न० 2389/1673 व 2393/1674 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2456 है० मे प्रार्थी का नाम अंकुश पुनिहारी पुत्र सुरेन्द्र कुमार हिस्सा पूर्ण जाति जाट पंजाबी मौहल्ला, बहरोड जिला अलवर खातेदार के स्थान पर अंकुश पुनिहानी पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति पंजाबी निवासी पंजाबी मौहल्ला बहरोड जिला अलवर दुरुस्त किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवावे।

निर्णय आज दिनांक 01/5/2024 को खुले न्यायालय मे सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)